

उत्तरनाम : रामेश्वर दास सेनी/नाम भगगाराम भील
प्र.सं. : 65/2022
अन्तर्गत धारा : 183 रा.टि.एक्ट

01/08/2024

पत्रावली पैरा 24... अधिष्ठापक संघ द्वारा
न्यायालय कार्य... * धरित कराने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
03/09/24 को पैरा को जवाब
Bip.
वीर

03/09/24

पत्रावली पैरा 24... P. 2 धारा अवकाश
पर है कि...
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
25/09/24 को पैरा को जवाब
Bip.
वीर

25/09/2024

पत्रावली पैरा 24 हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में
अनुपस्थित। वादी व वकील वादी को न्यायालय
द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-
अलग समय पर आवाज लगावाई गई, बावजूद
वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः
न्यायालय में प्रकरण में वादी की ओर से पैरती
हेतु उपस्थित नहीं होने से पत्रावली इसी स्तर पर
अदम हाजिरी अदम पैरती में खारिज की जाती
है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से
कम की जाकर शामिल वफतार है।

उपखण्ड अधिकारी
रावलभाटा (चित्तौड़गढ़)

